

रामकी

बनाम

कगवान हिटा

किस्म मुकदमा

85/16

नं.

1997 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
9/5/10	<p>पचावली वाने इयात पाप आपके कार के मय परासुपय के धावर हुए पचावली के वकिर वाही व धरिगारी मक मेल के इयातियर हुए, वाली ने इयातियर होय बसापा कि फी विलानि के ले शारी हुए विनि के ले लके के लीन लसके मंगवान फिए, सेलोफी अनक फिए ई लका इरुकी, पली के वाही लका इमकी इ बदन ई, पली पली के लीन लसके में से मंगवान फिए व सेलोफी सा ला कोलाउ विघन हो मय के इन सेने ला कोलाउ फोर के विनि के से हुके विनि ला विनि एमर नापावली इकी गरी उला ए मय के इयातियर धरिगारीमक अनक फिए ने बसापा कि धरिगारीके । मंगवान फिए ला कोलाउ फोर हो मय ई एकर विघनक धरिगार अनक फिए के धरिगारी के 2 ए अनक धरिगारीमक उ लका 7 वाली की बदन ए पूरके - पापालक गुणुण कार्यवाही हास इकी हास सेने पली के धरिगार सा 18. 1/2 18. 1/2 दर</p>	

दिया जा विपदा काल ^{पुली पुली} ^{शुभ} शपथ
 वाली व 5 वरु का शिफा 1/2 वला
 इफत पुली के अफिद मगबत फिट, कुलोपी
 वगैर फिट वि. 1/2 वलापुली के कम. छराकिर
 न्यायालय निवेदन काल हो कपा। अब
 वाली गलु किहि से इफत माइपो के
 शिफे के से वि. 1/2 की माइहा ही
 इफते अविगति के. 2 के शिफे के मात्र वि.
 1/3 वला वाली शपथ के शिफे के
 2/3 वला हो कपा। कोरि कपलः
 वला के कोरि वि. 1/2 के शपथ
 के साथ ही इफते शिलीय निरु मा
 हो ही, अब पाव इफत विरवाही के
 हो लखे वला ही शपथ वाली
 व वगैर फिट अविगति के. 2, इफते
 के वला ही वगैर फिट वला इफते
 लाइफ, अ वाली के इफता-क
 शपथ ही वला इफत वि. 1/2 के इफत
 माइ के न्यायालय को नश होने
 के रघ ही

न्यायालय के पल्ले काल के
 पला की हो पल्ले काल के अविगति
 के. 2 के शिफे से लश वला वला
 नाइरला के काथा (य वाली का
 शपथ मगल वलाप), न्यायालय इफत
 अविगति के. 2 शपथ न्यायालय इफत

महोदय को यह विषय कि वे जो
 न्यायालय से निवेदन या पत्रिका
 कि जारी यकीन साथ इन्फॉर्मर
 वही से पूर्व के हुए न्यायालय
 के निवेदन को दृष्टिगत वा
 हुपाय वाड पेथे कि वे ही न्यायालय
 मुनः निवेदन वा बरबात में जारी
 वा कि वे CPC वा धीमीफ नवी
 के मदत जारी कर वा यह जय
 CPC के 07 R 11 के कि वे
 कि वे जो के काउं जारिब पोथे
 ही नवः वाड जारी करनल
 07 R 11 CPC जारिब विषय
 वाय ही
 के

उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व लोक अदालत अभियान
 न्याय आपके द्वार-2018